



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं० 20850 वर्ष 2026

दुष्यंत

आवेदक(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य

विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मुकेश जोशी

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं०-45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उ०प्र० राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन धारा 103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना-सेयोहारा, जिला-बिजनौर के अधीन मामला अपराध सं० 6 वर्ष 2026 में जमानत पर आवेदक को छोड़ने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठे मूठे आलिप्त किया गया है। इसका अभिकथित अपराध से कोई लेना देना नहीं है। यह आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक प्र०सू०रि० में नामित नहीं है। तत्पश्चात इतिला देने वाले का कथन लेखबद्ध किया गया था तथा अपना संदेह आवेदक पर डाला था तत्पश्चात आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा इससे पूछताछ किया गया था। अभिकथित रूप से आवेदक ने पुलिस के समक्ष कहा था कि इसने छोटे भाई राहुल की हत्या करने के लिए सह-अभियुक्त मोहम्मद अहमद तथा विनीत को भाड़े पर लिया था क्योंकि वह मादक पदार्थ का आदी था। इसने आगे कहा है कि आवेदक को इस मामले में केवल आशंका के कारण नामनिर्दिष्ट किया गया है। वास्तविक हत्या के बारे में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विवरण नहीं है। आवेदक के इशारे पर किसी हथियार को बरामद नहीं किया गया है। अभियोजित करने के लिए आवेदक के विरुद्ध कोई ग्राह्य साक्ष्य नहीं है। यह आगे निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त मोहम्मद अमजद, जिसके विरुद्ध मृतक की हत्या कारित करने का अभिकथन आरोपित किया गया है, को दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं० 16368 वर्ष 2026 में इस न्यायालय के समन्वय पीठ के आदेश दिनांक 05.06.2026 द्वारा जमानत दिया गया है। यह आगे निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया गया है, इसलिए,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने आगे तर्क दिया

है कि आवेदक का आपराधिक पूर्ववृत्त है जिसे जमानत आवेदन के पैरा सं0 48 में भलीभांति स्पष्ट किया गया है तथा वह 04-01-2026 से कारागार में है।

4. दूसरी तरफ, विद्वान अधिवक्ता ने जमानत देने हेतु अनुरोध का विरोध किया है, फिर भी, वह इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सका कि इसी प्रकार सह-अभियुक्त अर्थात मोहम्मद अमजद को इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा जमानत दिया गया है।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किये गये प्रतिद्वन्दी निवेदनों पर विचार किया तथा अभिलेख पर लाये गये सामग्री का परिशीलन किया।
6. मामले के सम्पूर्ण तथ्यों तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी प्रकार सह-अभियुक्त, अर्थात, मोहम्मद अमजद को इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा जमानत दिया गया है तथा उक्त आदेश को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपास्त या रोका नहीं गया है, तथा आवेदक 04-01-2026 से कारागार में दुख के दिन काट रहा है, मैं आवेदक को जमानत पर छोड़ना उचित समझता हूँ।
7. जमानत आवेदन को, अनुज्ञात किया जाता है।
8. आवेदक-दुष्यंत जो पूर्वोक्त मामला अपराध में शामिल है को निम्न शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय के समाधान पर इतनी ही धनराशि में प्रत्येक स्वीय बंधपत्र तथा दो प्रतिभुओं के देने पर जमानत पर छोड़ा जाय। आगे छोड़े जाने का आदेश जारी करने के पहले प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाय।
 - (i) आवेदक इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित होते हैं। इस शर्त के व्यतिक्रम की दशा में, विचारण न्यायालय इसे जमानत के स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में मानने तथा विधि के अनुसार आदेशों को पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
 - (ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के जरिए उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना इसके अनुपस्थिति होने की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 229-क भारतीय दण्ड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के अधीन इसके विरुद्ध अग्रसर हो सकता है।
 - (iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत के स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा इसके उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द0प्र0सं0/84 भा0ना0सु0सं0 के अधीन उद्घोषणा जारी किया जा सकता है तथा यदि आवेदक इस प्रकार के उद्घोषणा में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल होता है, तब विचारण न्यायालय धारा 174-क भा0द0सं0/209 भा0न्याय0सं0 के अधीन विधि के अनुसार इसके विरुद्ध कार्यवाहियाँ आरंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले के आरंभ (2) आरोप विरचित किये जाने तथा (3) धारा 313 द0प्र0सं0/351 भा0ना0सु0सं0 के अधीन कथन लेखबद्ध करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय के राय में आवेदक की अनुपस्थिति विमर्शित या पर्याप्त कारण के बिना है, तब विचारण न्यायालय इस प्रकार के व्यतिक्रम को जमानत के स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में मानने एवं इसके विरुद्ध विधि के अनुसार अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपरोक्त किन्हीं शर्तों के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत के रद्दकरण हेतु आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में किया गया संप्रेक्षण किसी तरह से साक्षीगण के परिसाक्ष्य पर आधारित अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेगा।

जून 18, 2026

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)